जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 23.05.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 01 गैंगस्टर को किया गिरफ्तारः-

दिनांक 22.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम औदरी से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त जाकिर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार गैंगस्टर के विरूद्ध जनपद के थाना कैराना व झिंझाना पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अवैध हथियार रखने आदि के कई मामले दर्ज हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.जाकिर पुत्र जफरु निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त -

1.मु0अ0सं0 470/08 धारा 302 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 277/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 176/16 धारा 147,148,149,307,386,452,323,504,506 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 178/16 धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 181/16 धारा 25 आयुध अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 61/18 धारा 379बी,342,392,395,397,412,482,201,120बी भादवि0 व 25/27 आयुध अधि0 जनपद पानीपत हरियाणा।
7.मु0अ0सं0 146/19 धारा 307 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 147/19 धारा 5/25/27 आयुध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 273/19 धारा 3/5/25 आयुध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 23/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. का0 अंकुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 सुधीर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गांव डेरा लालसिंह पुर के जंगल में हुई 02 युवतियों की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2021 को प्रातः करीब 06.30 बजे थाना झिंझाना की चौकी बिडौली पर सूचना मिली कि डेरा लालसिंह पुर के जंगल में दो महिलाओं 1. सोनिया पत्नी विक्रम व डिम्पल पत्नी ऋषिपाल निवासी ग्राम रीषपुर थाना सनोली जनपद पानीपत, हरियाणा के शव पडे हैं, जिनके गले में दुपट्टे बंधे हुए थे। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक झिंझाना एवं उच्चाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के सम्बन्ध में छानबीन कर जानकारी की गई। पुलिस द्वारा की गई शुरूआती छानबीन में सुनील पुत्र बलजौरा निवासी डेरालाल सिंह पुर थाना झिंझाना द्वारा अपनी भाभी सोनिया से उसके भाई विक्रम के मन-मुटाव के चलते साथ न रहने के लिए घर से मायके जाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 07/8.05.2021 की रात्रि लाठी-डंडों से पीटकर गला दबाकर हत्या करने की जानकारी हुई है। मृतिकाओं के परिजनों द्वारा लिखित तहरीर पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 08.05.2021 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त सुनील व विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.05.2021 अभियुक्त अंकुर उर्फ कल्लू को ऊन-चौसान तिराहा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- अंकुर उर्फ कल्लू पुत्र बलजौरा निवासी ग्राम डेरा लालसिंह पुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1-प्रभारी निरीक्षक श्यामवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-उ0नि0 पवन कुमार सैनी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3-का0 सुनील थाना झिंझाना जनपद शामली।

4-का0 सुधीर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5-का0 अंकुर निर्वाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

6-का0 अंकुर चौधरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम भनेड़ा जट में हुई महिला की हत्या के 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल (प्लास्टिक की रस्सी) बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.2021 को थाना बाबरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भनेड़ा जट में पूजा पत्नि ललित द्वारा आत्महत्या कर ली है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी थानाभवन तथा थानाध्यक्ष बाबरी मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे तथा घटना के संबंध में जानकारी की, जिसमें पूछताछ में परिवारीजन व ग्रामीणों द्वारा मृतिका पूजा द्वारा आत्महत्या करना बताया, परन्तु पुलिस द्वारा शव का निरीक्षण करने के दौरान घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर फोरेन्सिक विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली व अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उच्चाधिकारियों तथा फोरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा गहनता से गले में रस्सी के निशान का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि गले में रस्सी का जो निशान है वो फांसी लगाकर आत्महत्या करने से नही आ सकता बल्कि यह निशान गले में रस्सी बांधकर खींचने से आया है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष बाबरी को निर्देशित किया गया। मृतिका के भाई संजय तोमर द्वारा थाना बाबरी पर दाखिल लिखित तहरीर के आधार पर मृतिका के पति ललित सहित 03 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बाबरी पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर घटना के बाद से ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे थे, जिसके क्रम में आज दिनांक 23.05.2021 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कांजरहेड़ी पुल के पास बने मन्दिर के पास से हत्याभियुक्त मृतिका के पति ललित व देवर अमित को आलाकत्ल प्लास्टिक की रस्सी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध/घटना का विवरणः- मृतिका पूजा के पति ललित के अपने छोटे भाई अमित की पत्नि मनीषा के साथ अवैध संबंध थे, जिसका विरोध मृतिका पूजा करती थी। पूजा को रास्ते से हटाने के लिए ललित, अमित व मनीषा ने पूजा को मारने की योजना बनाई। दिनांक 20.05.2021 को शाम करीब 18.00 बजे जब मृतिका पूजा के सास-ससुर व बच्चे घेर में गये हुए थे, तब मौका पाकर ललित, अमित व मनीषा ने मिलकर पूजा का गला प्लास्टिक की रस्सी से दबाकर हत्या कारित कर दी तथा शव को चारपाई पर लिटाकर पूजा द्वारा आत्म हत्या करने का शोर मचा दिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- ललित पुत्र रामवीर निवासी ग्राम भनेड़ा जट थाना बाबरी जनपद शामली।

2- अमित पुत्र रामवीर निवासी ग्राम भनेड़ा जट थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- आलाकत्ल प्लास्टिक की रस्सी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- थानाध्यक्ष श्री नेमचन्द सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2- उ0नि0 श्री रामपाल थाना बाबरी जनपद शामली।

3-उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना बाबरी जनपद शामली।

4-का0 नितिन थाना बाबरी जनपद शामली।

5-का0 प्रवेश थाना बाबरी जनपद शामली।

6-म0का0 शिवानी थाना बाबरी जनपद शामली।

कर्मचारीगण
महिला हास्टल

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 70 किलोग्राम पशु मांस एवं कटान के उपकरण बरामदः-

आज दिनांक 23.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे पशुओं के अवैध कटान के रोकथाम के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर गंगेरु रोड़ कस्बा कांधला से 01 पशु तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके से 70 किलोग्राम पशु मांस एवं कटान के उपकरण बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इमरान पुत्र महबूब निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1. 70 किलो ग्राम पशु मांस।
2. कटान करने के उपकरण (02 छुरी, 01 दाव, लकड़ी का गुटका, रस्सी आदि)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कांधला जनपद शामली।
2. का0 आदित्य थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 पंकज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।